राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प.9(49)राज.–6/19/152 जयपुर, दिनांक : 23-12-2019

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

चारागाह भूमि पर पूर्व में दिए खनन पट्टे पर खनन हेतु भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन की प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के तहत निर्धारित है। जिसके अनुसार खनन पट्टा धारक को चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु खातेदारी भूमि समर्पित करने व विकास शुल्क जमा कराने का प्रावधान है।

किन्तु चारागाह भूमि पर नवीन खनन पट्टे हेतु अनापत्ति दिए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(4)राज–6/2008/11 दिनांक 21.07.2008 द्वारा चारागाह भूमि पर खनन पट्टों की स्वीकृति से पूर्व जिला कलक्टर/शासन से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के निर्देश है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान की जाए कि खनन पट्टा धारक राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की पालना करने हेतु बाध्य होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।

(संजय मल्होत्रा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–5) विभाग को पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner